



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30962

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 611/2026**

मैकी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : लाल जी मौर्य, विनोद कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया**

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33(1) के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लिया जाए।
2. आज जब इस मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, चायल, जिला कौशांबी के हस्ताक्षर से प्राप्त दिनांक 07.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए।
3. निर्देशों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 33(1) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट को निष्पादित करवाना चाहता है। इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाकर दिनांक 16.07.1982 की विक्रय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विलेख का लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त विक्रय विलेख के अनुसरण में, क्रेता (खरीदार) के नाम आज भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किए गए हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि याचिकाकर्ता राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, तो उसे उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करना चाहिए।
5. मामले की इन परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

11 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”